भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1024

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

बच्चों के प्रति अपराधों में वृद्धि

1024. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों में बच्चों के प्रति अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो क्या इस चिन्ताजनक वृद्धि के कारणों का पता लगाने हेतु कोई विश्लेषण किया गया है;
(ग) क्या सरकार ने बच्चों के प्रति अपराध की घटनाओं को रोकने हेतु कोई विस्तृत योजना बनाई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2011-2013 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध के अंतर्गत क्रमश: कुल 33,052 मामले, 38,172 मामले तथा 58,224 मामले दर्ज किए गए, जो एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है।

(ख) : बच्चों के प्रति अपराधों के पंजीकरण में हुई वृद्धि के पीछे बच्चों के प्रति अपराधों के मामले में अपराध के अनिवार्य पंजीकरण को लागू करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों सहित संघ सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय हो सकते हैं।

(ग) और (घ) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, अपराध की रोकथाम, उसका पता लगाने, दर्ज जांच करने तथा अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, भारत सरकार बच्चों के कल्याण के प्रति गंभीर रूप से चिंतित है तथा वह विभिन्न योजनाओं और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजे जाने वाले परामर्शी-पत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का सवंर्धन करती है।

महिलाओं के प्रति अपराध के बारे में भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 2 अप्रैल, 2013 को दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 को मंजूरी प्रदान कर दी है जो दिनांक 3 फरवरी, 2013 से प्रभावी हो गया है। इसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पीछा करने, घूरन, तेजाब से हमला करने, शब्दों और अनुचित स्पर्श आदि जैसी अभद्र भाव-भंगिमाओं जैसे अपराधों के लिए दंड को बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त, यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन किए गए हैं। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के कुछ उपबंध भी संशोधित किए गए हैं।

गृह मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। दिनांक 14 नवम्बर, 2012 से लागू यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 यौन उत्पीड़न और शोषण से बच्चों की सुरक्षा करने के लिए एक विशेष कानून है।

संकट में फंसी महिलाओं की कॉलें सुनने तथा उन्हें तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए एक आपातकालीन कार्रवाई प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय निर्भया कोष से 321.69 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

गृह मंत्रालय ने मानव-दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। इस उद्देश्य के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न जिलों में कुल 225 मानव-दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना की है।

'लापता' तथा ढूंढे गए ' बच्चों की निगरानी के संबंध में एक तंत्र तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'ट्रैक चाइल्ड' नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित किया है जिसमें 'लापता' और 'ढूंढे गए' बच्चों से संबंधित विवरण मौजूद होता है।

****